हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा नम्बर –11/2021 रणवीर सिंह बनाम महावीर सिंह वगै0	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.2021	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। आवेदक ने भूमि खसरा नम्बर 892/561 रकबा 0.1164 है. किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 894/508 रकबा 2.9036 है. किस्म बारानी–1 कुल किता 2 कुल रकबा 3.02 है. वाके ग्राम भोजासर तहसील झुन्झुनू व जिला झुन्झुनू का मौजुदा नक्शा किस्तवार दुरूस्त फरमाकर इसी खसरा नम्बर की सीमा जोड़ खसरा नम्बर 507 रकबा 0.5550 है. किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 865/507 रकबा 0.2950 है. किस्म बारानी–1, खसरा नम्बर 866/508 रकबा 0.2200 है. किस्म बारानी –1 कुल किता 3 कुल रकबा 1.0700 है. बारानी–1 के मौजुदा नक्शा किश्तवार में दुरूस्ती फरमाकर हाल उक्त खसरा नम्बरान 865/507 व 866/508 को हुबहू मौके से उठाकर नक्शे में उत्तर की तरफ सरकाकर नक्शे में 0.2200 है. भूमि कम दर्ज करके नक्शा किश्तवार में उक्त खसरा नम्बर 507 के दक्षिण में हुबहू प्रतिस्थापित किया जाना फरमाकर मौजुदा में हाल खसरा नम्बर 866/508 की मौजुदा स्थिति को हजफ फरमाकर रकबा 0.2200 है. का रकबा उक्त हाल खसरा नम्बरान 892/561 व 894/508 के नक्शा किश्तवार में शामिल कर रकबा बढाकर नक्शा किश्तवार में संशोधन(दुरूस्ती) कर नक्शा किश्तवार जारी किया जाना फरमाने का निवेदन किया है। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये नोटिस वास्ते जबावदेही तलब किया गया। अनावेदक संख्या 1 की तामिल विधिवत होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अनावेदक संख्या 2 की ओर से पत्रांक राजस्व /धारा 136 /2021 / 1216 दिनांक 23.06.2021 एवं राजस्व/धारा 136/2021/1886 दिनांक 20. 07.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसे शामिल मिशल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी सम्वत 2073–2076 की प्रतिलिपी के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 507 व 508 का नामान्तकरण संख्या 451 दिनांक 20.06.2016 विभाजन से नये खसरा नम्बर 865/507 रकबा 0.2950 है0 व खसरा नम्बर 508 रकबा 3.24 है0 जो रणवीर पुत्र रतनाराम व खसरा नम्बर 507 रकबा 0.5550 है0 महावीर सिंह दतक पुत्र नारायणराम जाति जाट के नाम स्वीकार हुआ है। नामान्तकरण संख्या 453 दिनांक 05.08.2016 विक्रय से खसरा नम्बर 865/507 रकबा 0. 2550 व खसरा नम्बर 866/508 रकबा 0.22 है0 रणवीर पुत्र रतनाराम द्वारा विक्रय करने पर महावीर सिंह दत्तक पुत्र नारायणराम के नाम स्वीकार हुआ है इस प्रकार खसरा नम्बर 507 के विभाजन से खसरा नम्बर 865/507 नया बना है व खातेदार रणवीर ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 508 में से 0.22 है. भूमि विक्रय करने पर नया खसरा नम्बर 866/508 रकबा 0.22 है. बना है। प्रकरण के अवलोकन एव उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि राजस्व रिकार्ड को तैयार करते समय किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं पाई गई। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत राजस्व रिकार्ड व लिपिकीय त्रटियों को शुद्ध किये जाने का प्रावधान है। उक्त प्रकरण में खसरा नम्बर 866/508 रकबा 0.22 है0 विक्रय होने से नामान्तकरण संख्या 453 दिनांक 05.08.2016 से बना है प्रकरण में किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि नहीं पाई गई। उपरोक्त तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के मध्यनजर प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है अतः **आदेश** आवेदक का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। आदेश आज दिनांक 24.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (शैलेश खैरवा) उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू	